

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/स्थायीकरण/अलेसे-III/ 1773 दिनांक :- 13.06.2019

समस्त कनि० लेखाकार,
कार्यालय
राजस्थान।

विषय:-कनि० लेखाकार पद पर दो वर्ष का परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर स्थायीकरण एवं नियमित वेतनमान स्वीकृति के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कनि० लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 में चयनित एवं अन्य नवनियुक्त (DGS) कनि० लेखाकारों, जिनकी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि आगामी महिनों में पूर्ण हो रही है, को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर कनि० लेखाकार पद पर स्थायीकरण (Confirmation) एवं नियमित वेतनमान स्वीकृति हेतु संलग्न प्रोफार्मा में चाही गयी सूचना अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से यथाशीघ्र भिजवाने का श्रम करें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क०ले०प्र०/अलेसे-III/

दिनांक :- .2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
2. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत ऐसे कनि० लेखाकार जिनकी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि आगामी महिनों में पूर्ण हो रही है, की सूचना संलग्न प्रोफार्मा अनुसार भिजवाने का श्रम करें।
3. कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी.....
4. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

कनि० लेखाकार पद पर दो वर्ष का परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर स्थाईकरण एवं नियमित वेतनमान स्वीकृति बाबत वांछित सूचना

1	नाम कार्मिक		
2	पिता का नाम		
3	मेरिट नम्बर/लिंग नम्बर		
4	जन्मतिथि		
5	कनि० लेखाकार पद हेतु जारी नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)		
6	कनि० लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि (छायाप्रति संलग्न करें)		
7	नियुक्ति आदेश में आवंटित पदस्थापन स्थान		
8	वर्तमान पदस्थापन स्थान एवं कार्यग्रहण तिथि		
9	कनि० लेखाकार पद पर नियुक्ति यदि मंत्रालयिक कोटे (ME) में हुई है तो विवरण	1. राज्य सरकार के विभाग...	
		2. बोर्ड अथवा निगम...	
		3. पंचायत समिति...	
		4. अन्य संस्थान का नाम...	
10	क्या कनि० लेखाकार पद पर चयन/नियुक्ति विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) कोटे के अन्तर्गत हुई है ?	हाँ / नहीं	
11	सांस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि एवं स्थान (आदेश की छायाप्रति संलग्न करें)		
12	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक (परीक्षा परिणाम की छायाप्रति संलग्न करें)		
13	आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि एवं स्थान (प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)		
14	दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक		
15	ऐसे कनि० लेखाकार जिन्होंने पूर्व से राज्य सेवा में कार्यरत रहने पर पूर्व वेतन का विकल्प दिया है या नहीं ?		
16	यदि कनि० लेखाकार पद पर नियुक्ति मान० न्यायालय के निर्णयानुसार की गई है, तो रिट याचिका एवं निर्णय का उल्लेख करें एवं छायाप्रति संलग्न करें।		
17	यदि वर्तमान में कनि० लेखाकार नियुक्ति से सम्बन्धित कोई रिट याचिका लम्बित है, तो उसका उल्लेख एवं वर्तमान स्थिति (यदि हां तो छायाप्रति संलग्न करें)		

18	अन्य कोई महत्वपूर्ण विवरण/लम्बित विभागीय जांच (छायाप्रति संलग्न करें)				
19	परिवीक्षा अवधि में यदि कोई दण्डादेश जारी किया गया है तो, उसका पूर्ण विवरण				
20	परिवीक्षा अवधि में लिए गए असाधारण अवकाश का विवरण:-				
क्र.सं.	असाधारण अवकाश का विवरण		कुल दिवस	अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी*	अवकाश स्वीकृति आदेश क्रमांक/दिनांक
	कब से	कब तक			
1	2	3	4	5	6

*कॉलम संख्या 5 में अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी से अभिप्राय नियुक्त अधिकारी (निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग) से है।

उपरोक्त तथ्य एवं सूचनाएँ सही हैं एवं मेरे द्वारा किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। उक्त में से कोई सूचना गलत पाये जाने पर मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूँगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर कार्मिक
मय मोबाईल नम्बर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कनि० लेखाकार के पद पर दिनांक से कार्यरत हैं। उपरोक्त विवरण का सत्यापन कार्मिक के सेवा रिकॉर्ड से कर लिया गया है, जिसके अनुसार उक्त विवरण पूर्णतया सही है। श्री द्वारा परिवीक्षा अवधि में कुल दिवस का असाधारण अवकाश लिया गया है तथा असाधारण अवकाश का अन्य कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

श्री कनि० लेखाकार द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में की गई सेवाएं एवं कार्य व्यवहार संतोषजनक है एवं इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है एवं इस अवधि में इनके विरुद्ध कोई दण्डादेश जारी नहीं किया गया है। अतः परिवीक्षा प्रशिक्षण काल सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें नियमित वेतनमान स्वीकृत/स्थाईकरण करने की अभिशंका की जाती है।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष
मय पदनाम एवं मोहर